न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 39 / 2021
रामेश्वरलाल पुत्र भैरूराम, जाति मेघवाल, निवासी नूआं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा, जिला झुंझुनूं।
2. अमरचन्द पुत्र केशर देव
3. सत्यनारायण पुत्र केशर देव
4. सुमन पुत्री केशर देव
5. शुभकरण पुत्र केशर देव
6. रतनलाल पुत्र केशर देव
7. रोहिताश पुत्र भैरूराम
8. प्रेमी देवी उर्फ प्रमीला पत्नी रामलाल
9. भंवरलाल पुत्र रामलाल
10. राजेन्द्र पुत्र रामलाल
11. किशोर पुत्र रमेश कुमार
12. शारदा पुत्री रमेश कुमार
13. चन्दा पुत्री रमेश कुमार
14. अनिता पुत्री भोलाराम
15. ममता पुत्री भोलाराम
16. गिरधारी पुत्र भोलाराम
17. प्यारेलाल पुत्र कजोड़
18. बसन्ती पत्नी कजोड़
19. बाबूलाल पुत्र नागरमल
20. रणजीत सिंह पुत्र नागरमल
21. श्यामलाल पुत्र नागरमल
22. शीशराम पुत्र नागरमल
23. मोहनलाल पुत्र गीगराज
24. लीलाधर पुत्र भागूराम
25. सोनू पुत्री बिहारी

समस्त जाति मेघवाल, निवासीगण नूआं तहसील व जिला झुंझुनूं।
26. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नूआं जरिये शाखा प्रबंधक।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:05:04 IST
Reason: SelfAttested

——रेस्पो

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 02.02.2008 तहसीलदार, झुंझुनूं नामान्तरकरण संख्या 80 ग्राम नूंआ, तहसील झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।

———

1. श्री संजीव कुमार सिंघल, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित
2. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— राज्य सरकार (रेस्पो0 सं0 1) की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 लगायत 26 बावजूद नोटिय तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 31.03.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 02.02.2008 भूमि ग्राम नूआं के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील की ओर से अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है कि वाके राजस्व ग्राम नूंआ तहत तहसील झुंझुनूं जिला झुंझुनूं में कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.45 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.09 हैक्टर व जमीन हाल खसरा नम्बर 194 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 195 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 196 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 239 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 258 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 259 रकबा 1.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 260 रकबा 1.23 हैक्टर, कुल किता 16 कुल रकबा 13.08 हैक्टर स्थित है। वर्णित धारा 1 की भूमियां भैरूराम की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है जो कि भैरूराम को भूमि विरासत में प्राप्त हुई। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 लगायत 13 भैरूराम के वंशज है उक्त नागरमल की वंशावली निम्न प्रकार है।

नागरमल (फौत)																	
कालू	भागु राम	भैरूराम(फौत)														थाना राम	नीगराम (फौत)
		केशरदेव (फौत)						रामलाल (फौत)			रमेश कुमार (फौत)			रामेश्वर लाल	रोहिताश		
		अमर चन्द	सत्य नारायण	सुमन	शुभ करण	रतन लाल	नाराणी पत्नी (फौत)	प्रमेली देवी	भंवर लाल	राजेन्द्र	किशोर कुमार	शारदा	चंदा				

उपरोक्त वर्णित भूमि में भैरूराम का 1/5 हिस्सा है। भैरूराम के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरकरण उनके पुत्रों क्रमशः केशर देव, रामलाल, रमेश कुमार, रामेश्वरलाल, (अपीलान्ट) व रोहिताश के हिस्से में बराबर–बराबर 1/25, 1/25 हिस्सा भूमि आई जिसमें प्रत्येक अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हो गये। केशरदेव के फौत होने पर उनके हिस्से की भूमि उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 6 क्रमशः अमरचन्द, सत्यनारायण, सुमन, शुभकरण, रतनलाल व पत्नी नाराणी के हिस्से में बराबर–बराबर 1/150, 1/150 हिस्सा भूमि आई जिस पर वे काबिज काश्त है। केशर देव की पत्नी नाराणी का भी देहान्त हो चुका है। उक्त नाराणी के हिस्से पर उसके वारिसान काबिज काश्त है। उक्त भैरूराम के पुत्र रामलाल का भी देहान्त हो चुका है। रामलाल के देहान्त के पश्चात उसके 1/25 हिस्से की भूमि उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट नं0 8 लगायत 10 क्रमशः प्रेमी देवी, भंवरलाल व राजन्द्र प्रत्येक को 1/75, 1/75 हिस्से की भूमि प्राप्त हुई। जिस पर वे काबिज काश्त है। भैरूराम के पुत्र रामेश्वरलाल व रोहिताश जिन्दा है जो अपने–अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। लेकिन उक्त भैरूराम के पुत्र रमेश कुमार का देहान्त हो चुका है रमेश [illegible] के हिस्से की भूमि पर मौके पर उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगायत 1[illegible] किशोर कुमार, शारदा व चन्दा भौतिक रूप से काबिज काश्त है। लेकिन [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल दर्ज करते समय रमेश कुमार [illegible] को फौत बताते हुए विरासत का नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक [illegible] जिसमें रमेश कुमार के वारिसान को रामेश्वरलाल के वारिसान दर्ज किया गया। उक्त [illegible] नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड से रामेश्वरलाल के स्थान पर रमेश कुमार के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगायत 13 का नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि अपीलान्ट रामेश्वरलाल जीवित है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड से अपीलान्ट रामेश्वलाल के 1/25 हिस्से का विरासत का नामान्तरकरण 80 दिनांक 01.02.2008 मृतक रमेश कुमार के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगायत 13 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार अपीलान्ट का हिस्सा भी उक्त गलत नामान्तरकरण के आधार पर उक्त मृतक रमेश कुमार के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगायत 13 के नाम गलत रूप से दर्ज हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:05:04 IST
Reason: SelfAttested

गया उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड आज भी चला आ रहा है। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या 80 खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमानजी की सेवा में अपील पेशकर निवेदन है कि तहसीलदार महोदय झुंझुनूं का आदेश दिनांक 02.02.2008 नामान्तरकरण संख्या 80 निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि वाके राजस्व ग्राम नूंआ तहत तहसील झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं में कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.45 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.09 हैक्टर व जमीन हाल खसरा नम्बर 194 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 195 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 196 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 239 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 258 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 259 रकबा 1.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 260 रकबा 1.23 हैक्टर, कुल किता 16 कुल रकबा 13.08 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि के क्रम मे भैरूराम के पुत्र रमेश कुमार का देहान्त हो चुका है रमेश कुमार के स्वर्गवास होने पर उसके हिस्से की भूमि पर मौके पर उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगायत 13 क्रमशः किशोर कुमार, शारदा व चन्दा भौतिक रूप से काबिज काश्त है। लेकिन राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो ने राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल दर्ज करते समय रमेश कुमार की जगह रामेश्वरलाल को फौत बताते हुए विरासत का नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 01.02.2008 भरा गया जिसमें रमेश कुमार के वारिसान को रामेश्वरलाल के वारिसान दर्ज किया गया। उक्त गलत नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड से रामेश्वरलाल के स्थान पर रमेश कुमार के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगायत 13 का नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि अपीलान्ट रामेश्वरलाल जीवित है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड से अपीलान्ट रामेश्वलाल के 1/25 हिस्से का विरासत का नामान्तरकरण 80 दिनांक 01.02.2008 मृतक रमेश कुमार के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगायत 13 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार अपीलान्ट का हिस्सा भी उक्त गलत नामान्तरकरण के आधार पर उक्त मृतक रमेश कुमार के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगायत 13 के नाम गलत रूप से दर्ज हो गया उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड आज भी चला आ रहा है। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या 80 खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमानजी की सेवा में अपील पेशकर निवेदन है कि तहसीलदार महोदय झुंझुनूं का आदेश दिनांक 02.02.2008 नामान्तरकरण संख्या 80 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद से बाहर है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे। साथ ही यदि अपीलान्ट रामेश्वर पुत्र भैरूराम के जिन्दा रहते उसको मृत बताकर अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण भरा गया है तो इसकी जांच करवाकर दोषी तहसीलदार, गिरदावर हल्का एवं पट[illegible] विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:05:04 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 लगायत [illegible] अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 लगायत 26 के विरूद्ध एकपक्षीय बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं बहस से साफ जाहिर है कि वाके राजस्व ग्राम नूंआ तहत तहसील झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं में कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.45 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.09 हैक्टर व जमीन हाल खसरा नम्बर 194 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 195 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 196 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा

नम्बर 238 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 239 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 258 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 259 रकबा 1.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 260 रकबा 1.23 हैक्टर, कुल किता 16 कुल रकबा 13.08 हैक्टर के कम मे अदालत मातहत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 80 दिनांक 02.02.2008 मे कमशः दो व्यक्तियों केशरदेव एवं रामेश्वर को फौत दर्शाते हुए दर्ज किया गया था। चूंकि अपीलान्ट रामेश्वर मय दस्तावेजात् के न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट रामेश्वर जिन्दा है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट रामेश्वर को मृत बताते हुए भरा गया नामान्तरकरण अदालत मातहत द्वारा गलत भरा गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण सं0 80 दिनांक 02.02.2008 अपीलान्ट रामेश्वर की हद तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं प्रकरण मे अपीलान्ट रामेश्वर के जिन्दा रहते उसको मृत बताकर नामन्तरकरण भरने मे दोषी रहे तहसीलदार, गिरदावर हल्का एवं पटवारी हल्का की जांच कर जांच रिपोर्ट 10 दिवस मे इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं एवं उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:05:04 IST
Reason: SelfAttested